"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2012—आश्विन 17, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-3/2012/1-7.—राज्य शासन एतद्द्वारा मानव अधिकार अधिनियम, 1993 (1994 के क्रमांक-10) की धारा 22 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए अनुशंसा करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है, अर्थात् :—

(अ)	मान. मुख्यमंत्री	—	अध्यक्ष
(ब)	अध्यक्ष, विधान सभा	—	सदस्य
(स)	प्रभारी मंत्री, गृह विभाग	—	सदस्य
(द)	नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.